


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम दौसा

खुशाबु बनाम नल्लु प्रताप

किस्म मुकदमा रीफरि नं. 47/2024 सन् _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
16/08/2024	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपाक्षित। प्रार्थीगण ने मय अधिवक्ता उपाक्षित होकर पत्रावली को तलब करके हेड विवेकन किया। प्रार्थीगण के विवेकन पर पत्रावली को तलब कर पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा मय अधिवक्ता उपाक्षित की तरफ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विद्दी करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र का अक्लीकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत विद्दा डिमै जाँन बाबत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे वही चलाने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विद्दी करने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा कल वाह के सेलमन हो।</p>	<p>इस अहकाम को आगे चलाना चाहिए। खालि एव कारीज फरमाया जावे। नौजयुक्त प्रार्थीगण को सुनवाया जाय।</p> <p></p> <p>नि कर्णी देव (मो) कलक्टर दिलशुभा वद. पु विक्रम सिंह 16.8.22</p>

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

